दूरभाष 0522–2720384

# राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ

पत्रांक अधि0–क/(100/7)/2011–136 दिनांक 31.01.2011

## कार्यालय ज्ञाप

परिषद आदेश संख्या अधि0–क/(100/7)/2010–25 दिनांक 13.04.2010 द्वारा मण्डी परिषद/मण्डी समितियो में कार्यरत ऐसे कार्मिको को, जिनके वेतनमानों का उच्चीकरण/संशोधन मण्डी परिषद द्वारा शासन की पूर्वानुमोदन के बिना कर लिया गया था, को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियो के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 522/80–1–2010–8/98 टी0सी0 दिनांक 13.04.2010 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया था कि उक्त शासनादेशानुसार वेतन निर्धारण परिषद कार्मिको का परिषद मुख्यालय स्तर से तथा मण्डी समिति कार्मिको का परिषद के सम्भागीय कार्यालय स्तर से किये जायेगे।

उपरोक्त सन्दर्भ में मण्डी परिषद/मण्डी समितियों के कार्मिको के किये गये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कतिपय विसंगतियां पाये जाने पर परिषद पत्रांक अधि0–2/(100/7)/97–1326 दिनांक 27.09.2010 द्वारा उ0 प्र0 शासन से मांगे गये मार्ग दर्शन के कम में शासन के पत्र संख्या 1968/अस्सी–1–2010/98 टी0सी0 दिनांक 25, जनवरी, 2011 द्वारा निम्नवत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है।

"ऐसे पद धारक जिनकी नियुक्ति/प्रोन्नति अपुनरीक्षित उच्चीकृत वेतनमान में की गयी हो, अर्थात सम्बन्धित पद धारक को अपुनरीक्षित उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य हुआ हो ,ऐसे पद धारको का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल 2010 के साथ संलग्न तालिका के स्तम्भ–9 में सम्बन्धित पद के समक्ष इंगित पुनरीक्षित वैयक्तिक वेतनमान है, में किया जाय"।

अतएव शासन से प्राप्त उपरोक्त पत्र दिनांक 25.01.2011 की छाया प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासनादेश दिनांक 13.04.2010 के कम में किये गये वेतन निर्धारण में संशोधन/वेतन पुनरीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोपरि।

(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

**प्रतिलिपि–** अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
2– वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।
3– समस्त उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद सम्भागीय कार्यालय को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्त आदेश की एक–एक प्रति अपने सम्भाग की समस्त मण्डी समितियों को अपने स्तर से प्रेषित करना सुनिश्चित करे।
4– समस्त उपनिदेशक(निर्माण)/(वि0यॉ0) व विशेष कार्याधिकारी(विधि) मण्डी परिषद।
5– आदेश/गार्ड पत्रावली हेतु।

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
अपर निदेशक(प्रशासन)
31.01.11

26/01/2011 23:18 2238330

1968
संख्या–1968/अस्सी–1–2010/98 टी0सी0

प्रेषक,

प्रेम नारायण
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
अपर निदेशक (प्रशासन)

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 लखनऊ दिनाँक 25 जनवरी, 2011

विषयः–मण्डी परिषद /मण्डी समितियों में कार्यरत ऐसे कार्मिकों को, जिनके वेतनमानों का उच्चीकरण/संशोधन मण्डी परिषद द्वारा शासन की पूर्वानुमोदन के बिना कर लिया गया था, को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–अधि0क–2/(100/07) 97–1326, दिनॉक 27–09–2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विभाग द्वारा इस बिन्दु पर परामर्श माँगा गया था कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0 द्वारा उच्चीकृत वेतनमान में दिनॉक 01 जनवरी,1996 के पश्चात की गयी नियुक्तियों /प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यरत कार्मिकों को शासनादेश दिनॉक 13 अप्रैल,2010 के साथ संलग्न सूची के स्तम्भ–9 में इंगित वैयक्तिक वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जाएगा अथवा ऐसे पदों के लिए शासनादेश दिनॉक 31 जुलाई,2002 के साथ संलग्न तालिका में पद के सम्मुख सम्बंधित स्तम्भ में इंगित वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जाएगा ।

2– इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे पदधारक जिनकी नियुक्ति/प्रोन्नति अपुनरीक्षित उच्चीकृत वेतनमान में की गयी हो, अर्थात सम्बंधित पदधारक को अपुनरीक्षित उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य हुआ हो, ऐसे पदधारकों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण शासनादेश दिनॉक 13 अप्रैल,2010 के साथ संलग्न तालिका के स्तम्भ–9 में सम्बंधित पद के समक्ष इंगित पुनरीक्षित वैयक्तिक वेतनमान है,में किया जाय ।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव

— 2 —

(2)

<u>संख्या–1968(1)/अस्सी-1-[illegible]/98टी0सी0</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2

(3) वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1

(4) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(गया प्रसाद कमल)
उप सचिव